Government of National Capital Territory of Delhi
DEPARTMENT FOR THE WELFARE OF SC/ST/OBC/MINORITIES
2nd Floor, B-Block, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi-110 002 Ph: 23379511-12, E-mail: scstdepartment@gmail.com

Last date for submission of application form is 10.09.2014.

POST MATRIC SCHOLARSHIP SCHEME FOR SC/OBC STUDENTS STUDYING IN DELHI AND ALSO OUTSIDE DELHI BUT WITHIN INDIA(2014-15)

IMPORTANT NOTE: WHERE TO SUBMIT APPLICATION FORM:

1. **Head of Govt/Aided School may forward consolidated statement of eligible students (class XI and XII) to concerned Dy. Director of Education, Delhi.**
2. **Head of recognized Public School may forward consolidated statement of eligible students (Class XI & XII) with applications alongwith requisite documents duly recommended to this Department.**
3. **Kendriya Vidyalaya Schools & Schools under NDMC & Delhi Cantonment Board may forward consolidated statement of eligible students (Class XI & XII) to this Department.**
4. **Heads of Engineering College, Medical Colleges, Colleges under Delhi University/Jamia, University/I.P. University/JNU/IGNOU may forward consolidated statement of eligible students to Dte. of Higher Education Govt. of NCT Delhi, 5, Shamnath Marg, Delhi.**
5. **Heads of Polytechnic may forward consolidated statement of eligible students to the Dte. of Technical Education Muni Maya Ram Marg. Pitam Pura, Delhi.**
6. **Heads of Colleges/Institutions in respect of students outside Delhi but within India may forward consolidated statement of eligible students alongwith application requisite documents duly recommended.**

CONDITIONS OF ELIGIBILITY FOR SC AND OBC STUDENTS

1. Only those SC/OBC students who possess caste certificate issued by Govt. of NCT of Delhi are eligible under this scheme.
2. Scholarship is available to all SC students whose parents/guardians income from all sources does not exceed Rs. 2.5 lakh per annum, and all OBC students whose parents/guardians income from all sources does not exceed Rs. 1 lakh per annum, who are pursuing Post Secondary (Colleges/Institutions/Universities) level studies in Govt. recognized institutions situated in Delhi & outside Delhi but within India during the academic year 2014-15.
3. Bank Account should be in the name of the Student.
4. Students pursuing studies through correspondence courses are also eligible.
5. Incase of OBC parents, not more than two children will be entitled for receiving the above said scholarship. The restriction, however is not applicable to girl students. There is also no such restriction in respect of SC parents.
6. **(i) For family income latest salary slip in the case of parent/guardian in government service and an affidavit from notary regarding other source of family income.**
   (ii) Income declaration by way of an affidavit on non-judicial stamp paper in the case of parent/guardian in private job/service.
7. Application should be submitted in the prescribed format only.
8. All the supporting documents should be attested by the Gazetted Officer.
9. A certificate from the School/College/Institution to the effect that the students are not getting any other scholarship/ stipend, Students who have applied for merit scholarship are not eligible under this scheme.
10. Application duly signed by the Head of Institutions with seal of the Institute.
11. Date of admission in the course/commencement of class and completion of course should be clearly mentioned in the application form.
12. Attested copies of certificates in Diploma, Degree etc. in respect of all previous examinations passed should be enclosed with the application.
13. Attested copy of caste certificate issued by competent authority should be attached with application. Domicile Certificate of Delhi if the caste certificate is not issued by competent authority of Govt. of N.C.T. of Delhi.
14. Documentary proof of recognition/affiliation from Centre/State Government in respect of non-government Schools/Colleges/Institutions should be attached with the application.
15. Attested copy of fee structure duly approved by Centre/State Govt.
16. School/Colleges/University/Institute fee receipt (original) in respect of every student be attached with the application.
17. The scholarship will be granted as per Notification/Circular issued by the Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt of India from time to time.
18. The eligibility of the applicants will be decided as per guidelines/notification/circular issued by the Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt of India from time to time.

APPLICATION SHOULD BE COMPLETE IN ALL RESPECTS.
INCOMPLETE APPLICATION WILL BE REJECTED WITHOUT ANY CORRESPONDENCE OR REFERENCE

WHERE TO GET APPLICATION FORM:

Format of application form, Consolidated statement to be filled by the Head of School/College/Institution concerned, Electronic Clearing Service proforma (in r/o students as well as College/Institution concerned) & detail of value of scholarship (SC/OBC) may be downloaded from the Departments website alternatively this can be collected from the counter of this Department on any working day between 10.00 AM to 01.00 PM.

Student once applied for the above scholarship may log on to department website for information with regard to status of their application.

Remarks: Last date for receiving of proposal under the Post-Matric Scholarship for SC & OBC students from Implementing Departments for the year 2014-15 is 30th September 2014. Proposal received after 30th September 2014 will not be considered.

Principal Secretary
(Department for the Welfare of SC/ST/OBC/Min.)

DIP/0523/14-15

For further details and application form please log on to the website www.minorityaffairs.gov.in or www.scstwelfare.delhigovt.nic.in

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

अनु. जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.व./अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

द्वितीय तल, बी-ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002 फोन : 23379511-12, ई-मेल: scstdepartment@gmail.com

फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 10.09.2014 है।

दिल्ली एवं दिल्ली के बाहर किन्तु भारत में अध्ययनरत अ.जा./ अ.पि.व छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (2014-15)

महत्वपूर्ण सूचना: आवेदन प्रपत्र कहां जमा करें:

1. सरकारी/सहायता प्राप्त विद्यालय के प्रमुख योग्य विद्यार्थियों (कक्षा XI एवं XII) के समेकित प्रस्ताव को संबंधित शिक्षा उप निदेशक, दिल्ली को अग्रेषित कर सकते हैं।

2. मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूल के प्रमुख आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन के साथ योग्य विद्यार्थियों (कक्षा XI एवं XII) के समेकित प्रस्ताव को इस विभाग में अग्रेषित कर सकते हैं।

3. केन्द्रीय विद्यालय स्कूल एवं एन डी एम सी तथा दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के आधीन स्कूल योग्य विद्यार्थियों (कक्षा XI एवं XII) के समेकित प्रस्ताव इस विभाग को अग्रेषित कर सकते हैं।

4. इंजीनियरिंग विद्यालय, मेडिकल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय/जामिया के अधीन विद्यालय, विश्वविद्यालय/आई.पी. विश्वविद्यालय/ जे एन यू / इग्नू के प्रमुख योग्य छात्रों के समेकित प्रस्ताव उच्चतर शिक्षा विभाग, रा.रा. क्षे. दिल्ली सरकार, 5, शामनाथ मार्ग, दिल्ली को अग्रेषित कर सकते हैं।

5. पॉलीटेक्निक के प्रमुख योग्य छात्रों के समेकित प्रस्ताव तकनीकी शिक्षा विभाग, मुनि माया राम मार्ग, पीतम पुरा, दिल्ली को अग्रेषित कर सकते हैं।

6. दिल्ली के बाहर किन्तु भारत के निवासी छात्रों के संबंध में विद्यालयों/ संस्थाओं के प्रमुख विधिवत संस्तुत आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन के साथ योग्य छात्रों के समेकित प्रस्ताव को अग्रेषित कर सकते हैं।

अ.जा. एवं अ.पि.व. छात्रों के लिये योग्यता की शर्तें

1. केवल वे अ.जा./ अ.पि.व. छात्र, जिनके पास रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा जारी प्रमाणपत्र हैं, वे ही इस योजना के अंतर्गत योग्य हैं।
2. छात्रवृत्ति उन अ.जा. छात्रों जिनके माता–पिता/अभिमावक की सभी स्रोतों से मिलाकर आय रु 2.5 लाख प्रतिवर्ष से अधिक ना हो, तथा सभी अ.पि.व. छात्रों जिनके माता–पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से मिलाकर आय रु 1 लाख से ज्यादा न हो, और जो शैक्षिक वर्ष 2014-15 के दौरान दिल्ली या दिल्ली से बाहर, किन्तु भारत में स्थित हो, के सरकारी मान्यता (कालेजों/संस्थाओं/विश्वविद्यालयओं) पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।
3. बैंक खाता छात्र के नाम पर होना चाहिए।
4. पत्र–व्यवहार पाठ्यक्रय द्वारा शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र भी योग्य हैं।
5. अ.पि.व. माता–पिता के संदर्भ में उक्त छात्रवृत्ति के लिए 2 से ज्यादा बच्चे हकदार नहीं होंगे। परन्तु यह प्रतिबन्ध छात्राओं पर लागू नहीं होता। साथ ही अ.जा. माता–पिता पर भी ऐसा कोई प्रतिबन्ध लागू नहीं होता।
6. **(i) माता-पिता /अभिभावक के सरकारी नौकरी में होने की स्थिति में परिवार की आय के लिये वेतन पर्ची एवं परिवार की आय के अन्य स्रोत होने की स्थिति में नोटरी द्वारा प्रमाण पत्र।**

   (ii) यदि माता-पिता/अभिभावक गैर-सरकारी नौकरी/सेवा में हैं तो आय की घोषणा नॉन-जुडीशियल स्टैम्प पेपर पर एक प्रमाण पत्र द्वारा दी जाएगी।
7. आवेदन सिर्फ़ निर्धारित प्रपत्र में ही जमा किए जाने चाहिए।
8. सभी सहायक दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित होने चाहिए।
9. इस संदर्भ का स्कूल/कालेज/संस्था का प्रमाण पत्र कि छात्र को कोई अन्य छात्रावृत्ति/भत्ता नहीं प्राप्त हो रहा। छात्र जिन्होंने मेरिट स्कालरशिप के लिए आवेदन किया है वे इस योजना के अन्तर्गत योग्य नहीं हैं।
10. संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ आवेदन करें।
11. आवेदन प्रपत्र कोर्स में प्रवेश/क्लास आरंभ होने की तिथि साफ–साफ लिखी होनी चाहिए।
12. पिछली परीक्षाओं के संदर्भ में डिप्लोमा, डिग्री इत्यादि की अनुप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करें।
13. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करें। यदि रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र न हो तो दिल्ली के निवास का प्रमाणपत्र संलग्न करें।
14. गैर सरकारी स्कूलों/कालेजों/ संस्थाओं के संदर्भ में केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता, संबद्ध होने का दस्तावेजी प्रमाण आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए।
15. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत शुल्क संरचना की अनुप्रमाणित प्रति
16. प्रत्येक छात्र के संदर्भ में आवेदन के साथ स्कूल/कालेज/ विश्वविद्यालय/संस्था के शुल्क की मूल रसीद जमा करें।
17. सामजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/सर्कुलर के अनुसार छात्रवृत्ति अनुदत्त की जाएगी।
18. आवेदकों की योग्यता सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना/सर्कुलर/ दिशानिर्देश के अनुसार निश्चित की जाएगी।

आवेदन हर प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। अपूर्ण आवेदन बिना किसी पत्राचार या संदर्भ के अस्वीकार कर दिया जाएगा।

आवेदन पत्र कहां से प्राप्त करें:

आवेदन प्रपत्र का प्रारुप, समेकित प्रस्ताव संबंधित स्कूल/कालेज/ संस्था के प्रमुख द्वारा भरा जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस प्रोफार्मा (निवासी छात्रों एवं संबंधित कालेज/ संस्था में) तथा छात्रवृत्ति के मूल्य का विवरण (अ.जा./ अ.पि.व.) विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है, अन्यथा इसे किसी भी कार्यदिवस पर प्रातः 10.00 बजे से दापहर 1.00 बजे तक इस विभाग के पटल से प्राप्त किया जा सकता है।

उपरोक्त छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के पश्चात् आवेदन की वस्तु–स्थिति की जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट पर लॉग ऑन करें।

टिप्पणी: कार्यान्वयन, विभाग से वर्ष 2014-15 हेतु अ.जा. एवं अ.पि.व. छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2014 है। 30 सितम्बर 2014 के बाद प्राप्त प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्रमुख सचिव

(अनु. जाति./अनु.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)

DIP/0523/14-15

अधिक विवरण और आवेदन पत्र के लिए कृपया वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in या www.scstwelfare.delhigovt.nic.in देखें।